E-mail id- jscjjbp@mp.gov.in

कार्यालय अधीक्षक नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक 1836/स्थापना/2024/ जबलपुर, दिनांक 08/06/2024

रोजगार विज्ञापन

सर्व सम्बंधितों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय जेल जबलपुर में निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी भृत्य के रिक्त पद पर भर्ती नियमों के अनुरूप वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से नियुक्ति की जाना है, जो अभ्यर्थी उक्त पद पर सेवायें देना चाहते हो वे अपना आवेदन पत्र जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल जबलपुर के समक्ष किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 20.06.2024 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। विवरण निम्नानुसार है :–

स.क.	पदनाम वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	रिक्त पद की श्रेणी	योग्यता
1	भृत्य रू0 15500–49500 (लेवल कमांक – 1)	01	दृष्टिबाधित (अनुसूचित जन जाति)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 वीं उत्तीर्ण

टीप:– नियुक्ति की अन्य शर्ते जेल विभाग के ई–पोर्टल पर अथवा केन्द्रीय जेल जबलपुर के स्थापना कार्यालय से देखी जा सकती है।

8/6/24

जेल अधीक्षक
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
केन्द्रीय जेल जबलपुर
दूरभाष– 0761–2620016
0761–2621752

E-mail id- jscjbp@mp.gov.in

कार्यालय अधीक्षक नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर (म0प्र0)

चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य पद हेतु सामान्य शर्ते

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 08 वीं उत्तीर्ण ।
2. आयु सीमा :– 30.06.2024 को 18वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।
3. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से सत्यापित होना चाहिए ।
4. अभ्यर्थी को दिव्यांगता के अतिरिक्त शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए ।
5. अभ्यर्थी का म0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।
6. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र , शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र , जन्मतिथि का प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षित प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
7. परीक्षा योजना – अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा ।
8. परिवीक्षा अवधि – चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी / परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की स्थिति में सेवा से पृथक किया जा सकेगा । चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा ।

प्रथम वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

9 परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंण्ड के साथ शासन के नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें ।

10 यह नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन ,वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ –9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13 अप्रैल 2005 के अधीन उल्लेखित निर्देश/शर्तो के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत रहेगी।

11 अनर्हता :–

(क) जिन अभ्यर्थी की दो से अधिक जीवित संतान हो जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ख) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से एक पति जीवित हो ,नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ग) जिस अभ्यर्थी का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु(पुरूष 21 वर्ष ,महिला 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया गया हागा उसे उक्त पद से अयोग्य माना जायेगा।

12 आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित दस्तावेज सलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर से निरस्त किया जा सकेगा ।

13 अभ्यर्थी के चयन उपरान्त यदि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी

जाती है तो नियुक्ति समाप्त कर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

14. अभ्यर्थी को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 20.06.2024 के पूर्व रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा या सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

15 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदाय की जावेगी ।

16 मध्यप्रदेश शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.सी 3–5 /2012 1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है ,यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

17. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।

18 अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचारण में होने की दशा में उसे अयोग्य माना जावेगा ।

7/6/24

जेल अधीक्षक
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
केन्द्रीय जेल जबलपुर